

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईव्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वेद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.
गुरसेवक सिह पुत्र भूपेन्द्र सिह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
मनदीप सिह पुत्र भूपेन्द्र सिह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।



वादी

बनाम

- भूपेन्द्र सिह पुत्र नक्षत्र सिह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
- गुरप्रीत कौर पत्नी गुरभीत सिह पुत्री भूपेन्द्र सिह जाति जटसिख सा.पन्नीवाला गोटा तह.डववाली जिला सिरसा हरियाणा
- मनप्रीत कौर पत्नी तेजेन्द्रपाल सिह पुत्री भूपेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. वृजमोहार तह. अवोहर जिला फाजिल्का पंजाब
- गुरदीप कौर पत्नी सुरेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
- गुरप्यार सिह पुत्र सुरेन्द्र सिह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 19.2.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वारते इनफिसाल कटाई लबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्ध वादीगण मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिह सिद्ध वकील 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव नुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 7 पीटीपी

- मनदीप सिह पुत्र भूपेन्द्र सिह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ की कब्जा काश्त की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला न.
129/132	35	14,17,24/0.759, 6/0.253, 16/0.033
130/132	34	11,12/0.506 है.प्र. 19,20/0.253 है.प्र.

- भूपेन्द्र सिह पुत्र नक्षत्र सिह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ की कब्जाकश्त की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला न.
129/132	35	18,19,20,21,22,23/0.253 है.प्र.
129/133	38	1/0.253,

- गुरसेवक सिह पुत्र भूपेन्द्र सिह जाति जटसिख इन्द्रगढ़ की कब्जा काश्त की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला न.
130/132	39	1/0.253, 10/1/0.042, 2,9,12,18,19/0.253 है.प्र. 24/1/0.025 है.
139/132	35	16/0.220, 25/1/0.228, 25/2/0.025 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/4568 दिनांक 24.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुल्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करे।
बसव मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.2.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया